



संख्या— 488  
30/06/2018

सभी विश्वविद्यालय इस वर्ष के अंत तक लंबित सभी परीक्षाएँ  
सम्पन्न करायें—कुलाधिपति—सह—राज्यपाल

**पटना, 30 जून 2018 ::-** आज राजभवन सभागार में महामहिम राज्यपाल—सह—कुलाधिपति श्री सत्य पाल मलिक की अध्यक्षता में कुलपतियों की नियमित मासिक बैठक आयोजित हुई, जिसमें विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक विकास, आधारभूत संरचना के संवर्द्धन आदि कई महत्त्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार किया गया। बैठक में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के अतिरिक्त शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री आर.के. महाजन, राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह, शिक्षा विभाग के अपर सचिव श्री मनोज कुमार, राज्यपाल सचिवालय के अपर सचिव श्री विजय कुमार सहित शिक्षा विभाग एवं राज्यपाल सचिवालय के अन्य कई वरीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक की शुरुआत में कुलाधिपति—सह—राज्यपाल ने 'बी.एड. कॉलेज एप्स' का भी इलेक्ट्रॉनिक शुभारंभ किया, जिसके जरिये इन महाविद्यालयों में वर्ग—संचालन, शिक्षक एवं छात्र उपस्थिति की दैनिक समीक्षा प्रेषित मोबाईल फोटोग्राफ्स के जरिये की जा सकेगी। बैठक में महामहिम राज्यपाल को प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह ने मासिक पत्रिका 'राज भवन संवाद' के जुलाई अंक की प्रथम प्रति भी सादर समर्पित की।

बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल राज्यपाल श्री मलिक ने कहा कि हमें विश्वविद्यालयों के लिए निर्धारित एजेण्डों पर तेजी से आगे बढ़ना है। राज्यपाल ने निर्धारित एजेण्डे के आलोक में विभिन्न विश्वविद्यालयों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही, प्रगति में निरन्तरता बनाये रखने के लिए भी प्रेरित किया।

(1) राज्यपाल ने आज की बैठक में कुलपतियों को कहा कि 'एकेडमिक कैलेण्डर' और 'परीक्षा कैलेण्डर' के अनुरूप सत्र—संचालन, परीक्षा—आयोजन व ससमय परीक्षाफल— प्रकाशन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 के दिसंबर माह तक विश्वविद्यालयों को विभिन्न सत्रों की लंबित सभी परीक्षाएँ हर हालत में सम्पन्न कराते हुए ससमय उनका परीक्षा—फल प्रकाशित कर देना है।

(2) राज्यपाल ने सेवान्त लाभ से जुड़े सभी मामलों के भी त्वरित निष्पादन पर जोर देते हुए कहा कि कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को नियमित वेतन तथा हर तरह की बकाया राशि भी शीघ्र भुगतान की जानी चाहिए तथा हर माह 'पेंशन अदालतें' लगाते हुए सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ से संबंधित राशि का भी भुगतान समय से हो जाना चाहिए।

(3) कुलाधिपति ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी की समस्या शिक्षा विभाग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं नये रूप में गठित होनेवाले 'विश्वविद्यालय सेवा आयोग' के माध्यम से यथाशीघ्र दूर कर लेगा। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किए गये दिशा—निर्देश के आलोक में तात्कालिक रूप से 'गेस्ट फेकल्टी' नियुक्त करने के काम को यथाशीघ्र पूरा करने को कहा, ताकि विश्वविद्यालयों में शिक्षण—कार्य में कोई असुविधा नहीं हो।

(4) राज्यपाल श्री मलिक ने सुझाव दिया कि सभी कुलपतियों को विश्वविद्यालय में यथासंभव अपने विषय से जुड़ी कक्षाओं में अध्यापन—कार्य भी करना चाहिए। इससे छात्रों के बीच उनका निकट का संवाद बना रहेगा तथा अन्य शिक्षक भी कुशल अध्यापन के लिए प्रेरित होंगे।

(5) बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नये विश्वविद्यालयों सहित अन्य विश्वविद्यालयों में भी आवश्यकतानुरूप नये पदों के सृजन, पद-विलोपन एवं पदों के समपरिवर्तन हेतु सभी विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग को अपने प्रस्ताव आगामी 15 जुलाई, 2018 तक अवश्य उपलब्ध करा देंगे। विभाग प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए इनकी मंजूरी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए देगा।

(6) बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग के मार्ग-निर्देशों के आलोक में निर्धारित मानदेय राशि पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण-नियमों का पालन करते हुए तात्कालिक रूप से 'गेस्ट फेकल्टी' की अस्थायी नियुक्ति यथाशीघ्र की जाएगी।

(7) बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नवसृजित विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचना विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि के शीघ्र उपयोग के लिए प्राथमिकता तय करने हेतु कार्यकारी एजेन्सी, शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय प्रशासन पारस्परिक समन्वय बनाकर काम करेंगे।

(8) बैठक में अन्तर्विश्वविद्यालयीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता 'तरंग' तथा खेलकूद प्रतियोगिता 'एकलव्य' के सफल आयोजन हेतु विश्वविद्यालयों को अपने आन्तरिक संसाधनों का उपयोग करने को कहा गया। आवश्यकतानुसार शिक्षा विभाग से भी सहयोग लेने का निर्णय हुआ।

(9) बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चिह्नित सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय भवनों में शौचालय एवं वाशरूम (विशेषकर छात्राओं हेतु) निर्माण हेतु संवेदक-सूची तय करते हुए हर हालत में कार्यारंभ 31 जुलाई, 2018 तक हो जाएगा।

(10) विश्वविद्यालयों में हर माह की कोई एक तारीख निर्धारित करते हुए 'विशेष स्वच्छता अभियान' चलाने के साथ-साथ, 'हर परिसर, हरा परिसर' की योजना पर भी मुस्तैदी से अमल करने का निर्णय लिया गया। इस वर्ष की वर्षा ऋतु में वन प्रमंडल पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर इस योजना को सफल बनाने का निर्णय लिया गया।

(11) बैठक में राज्य सरकार के 'लोक शिकायत निवारण अधिनियम' के अनुरूप विश्वविद्यालयों में भी शिकायत-निवारण की सांस्थिक व्यवस्था बहाल करने हेतु आवश्यक कार्रवाई का निर्णय लिया गया।

(12) शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के विरुद्ध असूचित अनुपस्थिति के मामलों को अंतिम परिणति तक पहुँचाने का निर्णय बैठक में लिया गया, साथ ही 'बायोमैट्रिक हाजिरी' की व्यवस्था हेतु आवश्यक तकनीकी उपकरण महाविद्यालय परिसरों में भी यथाशीघ्र संस्थापित कराने हेतु कुलपतियों को कहा गया।

(13) विश्वविद्यालय परिसरों में 'वाई-फाई व्यवस्था' में और अधिक बेहतरी की अपेक्षा करते हुए कार्यकारी एजेन्सी को लगातार अनुश्रवण हेतु ताकीद किया गया।

बैठक में आर.टी.जी.एस. पद्धति से वेतन भुगतान करने, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों के बैंक खाते 'आधार' से इंटरलिंग करने, एफलीएटेड कॉलेजों को स्वीकृति प्रदान करने, संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने तथा बी.एड. प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन के मुद्दे पर भी आवश्यक चर्चा हुई।

.....